

2025/172

फर्द अहकॉम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी रामसर

मेवी

बनाम

तहसीलदार

किस्म मुकदमा.....136.....अधि. मुकदमा नम्बर.....156...../2025

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
3/5/2025	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलान्त के वकील श्री..... प्रार्थी स्वयं</p> <p>ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा..... 136 राजस्थान</p> <p>काश्तकारी अधिनियम/भू0-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी / प्रतिवादी / रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस / सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक..... 12/5/25 को पेश हो।</p>	
12/5/25	<p>पत्रावली आज पेश हुई पत्रावली का खबलाक किया खरख चुनी। खसतन खखलाके के खखयतन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थनापत्र खखीकाल किया जाता है प्रार्थीगत धारा 18 में वाड पेश करें। या तहसीलदार पर इफ्तार केन पैजीयत का खखेखरुत हुआ खखेखत करें। अतः प्रार्थनापत्र इसी खखल घा खखीनिखखारुत से नंबर खखतम से फेरुल खुमात खेकर पत्रावली इफ्तार उखिख खा।</p>	

12/5/25

3/5/25